

संख्या:- 660 / FP/UK/Others/34122/2018 देहरादून: दिनांक: 04 सितम्बर, 2019

सेवा में,

सचिव,

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,

उत्तराखण्ड शासन।

विषय:-जनपद-अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताडीखेत से गंगास-घिघारीखान-खानिया (कुल लम्बाई 15 किमी०) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.45 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु विन्धिया टेलीलिंग लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

(Online proposal no- FP/UK/Others/34122/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु उप महाप्रबन्धक, विन्धिया टेलीलिंग लि०, मोहाली, पंजाब के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.45 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी संस्तुति/सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग-निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार को ओ०एफ०सी० के प्रकरणों में वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है, बशर्ते इस हेतु उपयोग में लाये जा रहे वन भूमि का RoW पूर्व में स्वीकृत किया गया हो। इस प्रकरण में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 744/12-1(2) दिनांक 21-08-2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने की तिथि से पूर्व का है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा) 4/9/19

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/Others/34122/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद-अल्मोड़ा।
6. प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
7. उप महाप्रबन्धक, विन्धिया टेलीलिंग, प्लॉट संख्या-ई-237, तीसरी मंजिल, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-ViiiB, मोहाली, पंजाब।

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताडीखेत से गगास-धिधारीखान-खानिया (कुल लम्बाई 15 किमी०) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.45 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु विन्धिया टेलीलिंग लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

जनपद-अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताडीखेत से गगास-धिधारीखान-खानिया (कुल लम्बाई 15 किमी०) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.45 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु विन्धिया टेलीलिंग लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव 0.201 है० आरक्षित वन भूमि, 0.033 है० राजस्व वन भूमि एवं 0.216 है० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.45 है० वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-अल्मोड़ा/प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनाम:

हस्ताक्षर:

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहर:

तिथि : ०१/०९/२०१९

स्थान : देहरादून